इकाई-7

# शांति के प्रयास

## राष्ट्रसंघ (League of Nation) :

प्रथम विश्व युद्ध 1918 ई० में समाप्त हुआ। परन्तु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएँ विजित राष्ट्रों के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व के लिए चुनौति भरी थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था, जो पारस्परिक वार्त्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। अतः युद्ध के आरम्भ से ही इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। परन्तु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। अतएव 1919 ई० में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति-सम्मेलन में राष्ट्र-संघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति **'वुड्रो विल्सन'** को जाता है, जिन्होंने अपने '14 सूत्री' प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 June 1920 ई० को राष्ट्रसंघ (League of Nation) अस्तित्व में आया।

## राष्ट्रसंघ के उद्देश्य :

राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसी के निमित्त राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्धजनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्रसंघ की प्राथमिकताओं में शामिल था।

## राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र :

चूँकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी। फलतः प्रारम्भ में इसमें विजित अर्थात् मित्र राष्ट्र(फ्रांस, इंग्लैण्ड, रूस आदि) तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र ही शामिल थे। जिनकी संख्या 31 के करीब थी। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई। राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्वसम्पन्न हो तथा राष्ट्रसंघ के दो तिहाई सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हों।

जेनेवा में राष्ट्रसंघ की 10 वीं बैठक

## राष्ट्रसंघ के अंग :

राष्ट्रसंघ की प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके तीन प्रमुख अंगों की चर्चा थी-

- व्यवस्थापिका सभा (असेम्बली)
- परिषद् (काउन्सिल)
- सचिवालय (सेक्रेटेरियट)

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे।

राष्ट्रसंघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे-संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग आदि थे।

**व्यवस्थापिका सभा :** (असेम्बली)- यह राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि सभा थी। जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके कार्यों के अंतर्गत नये राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रसंघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन आदि करना था। असेम्बली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद-विवाद एवं विचार-विमर्श होता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिये जाते थे।

**परिषद् :-** (काउन्सिल)- इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद् के रूप में थी। इसमें दो तरह के सदस्य होते थे- स्थाई और अस्थाई। **इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं स्थायी सदस्य थे।** बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें स्थायी सदस्यता मिली। अस्थाई सदस्य के रूप मे 9 छोटे-छोटे राज्य थे। परिषद् को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाये। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका एसेम्बली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डानजिंग क्षेत्रों जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे, के प्रशासन का कार्य, युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे ।

**अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परन्तु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की, इस प्रकार प्रारंभ में चार स्थायी सदस्य ही रहें, जिसका बाद में विस्तार हुआ ।**

**सचिवालय :-** राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था। जिसका प्रधान कार्यालय 'जेनेवा' में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनैतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था।

**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय :-** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था। जिसका मुख्यालय हॉलैंड (आधुनिक नीदरलैंड) के एक शहर **हेग** में स्थापित किया गया। यह असेम्बली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी। परन्तु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे।

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन :-** प्रथम विश्व युद्ध का काल (1914-1918) यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आन्दोलन के विकास का काल था। क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। इसे 1917 की **रूसी क्रांति (बॉल्शेविक क्रांति)** से भी बल मिला और इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में मजूदरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। जिसका मुख्यालय **जेनेवा** में था।

**राष्ट्रसंघ द्वारा शांति के प्रयास :-** राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनैतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। राजनैतिक गतिविधि के अंतर्गत-अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निःशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, परंतु युद्धजनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूँकि राष्ट्रसंघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारम्भिक छोटे-मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। अपने 10-15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे-बड़े राजनीतिक झगड़ों की जाँच कर अपना निर्णय दिया। इसमें राष्ट्रसंघ द्वारा **समझौता, मध्यस्थता** तथा **अनुरोध** की नीति का अवलम्बन किया गया।

**अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका :-** इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं। जैसे- 1920 में स्वीडेन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेशिया विवाद तथा लिथुआनिया की

राजधानी विलना (Vilna) को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1995 ई० में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बालकन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलम्बिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलम्बिया को वापस प्राप्त हुआ। उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया।

परन्तु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला जैसे–1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह 'मुसोलिनी' की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रिकी देश अबीसीनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। अबीसीनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। परन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हुई । फलस्वरूप छोटे–छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्रसंघ से उठने लगा। अबीसीनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वर्साय की संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 September 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया। 1936 ई० के स्पेनिश गृहयुद्ध में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई । इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठाराघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्माद कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान–इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गए। शक्तिशाली राष्ट्रों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया।

यद्यपि 1932 ई० में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्द्धा जिम्मेवार थी परन्तु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास

नहीं किया। इस तरह अन्य राजनैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया।

**अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की सफलता :** इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफी सराहनीय भूमिका निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जनकल्याण से संबंधित थे। युद्धबंदियों की समस्या तथा उन्हें यातनागृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की भूमिका अग्रणी थी। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी काफी सफलता प्राप्त की। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों ने सहायता की। सामाजिक समस्याओं के निराकरण, जैसे - दासप्रथा को समाप्त करने, स्त्री के क्रय-विक्रय को रोकने, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्‌भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किये। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवायी। उनके काम के घंटों और पारिश्रमिक को निश्चित करवाया। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था।

**राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण :** राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग का जो महान् प्रयास था, वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया। क्योंकि 1918 ई० में प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के महज् 21 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गया। इसके अनेक कारण थे-

तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यवहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी। परन्तु राष्ट्रसंघ प्रारम्भ से ही इस सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति **वुड्रो विल्सन** के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। परन्तु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे।

जैसे-प्रारम्भ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया परन्तु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों से जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया। परन्तु तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गयी थी। **1925 के लोकार्नो की संधि** के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया। परन्तु उससे कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्साय की संधि का एक अभिन्न अंग था, जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प कर रखा था। इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी मानव-सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी। परन्तु उनकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन् अपने साम्राज्यवादी एवं पूँजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया।

शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश एवं आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर किया। जैसे- अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया तथा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई। परन्तु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्रसंघ में कोई विरोध नहीं हुआ। संघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल प्रदान किया। वस्तुतः हिटलर अपनी प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देखकर साम्राज्य विस्तार करता रहा।

1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग' को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी सेना का नहीं होना तथा राष्ट्रसंघ का दोषपूर्ण संविधान, जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, उसकी असफलता के कारण थे।

अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों में असफल रहा हो, परन्तु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द्र की जो नई परम्परा का सूत्रपात किया, वह वर्त्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ [United Nation Organization (U.N.O.)] :

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्वयुद्ध से अधिक महसूस की गई। यह युद्ध अधिक भयंकर और संहारक साबित हुआ, जिसमें आण्विक हथियारों का भी प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का निश्चय किया, जो राष्ट्रसंघ की भाँति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह शक्तिशाली हो। ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा-उत्पन्न न हो। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी का परिणाम था।

- जेम्स पैलेस घोषणा- 12 June 1941
- एटलांटिक चार्टर- 14 August- 1941
- संयुक्त राष्ट्र घोषणा- 1 Jan- 1942
- मास्को घोषणा- Oct- 1943
- तेहरान घोषणा- Dec- 1943
- याल्टा सम्मेलन- Feb 1944 (U.S.S.R)

इन घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का मार्ग -प्रशस्त हुआ।

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के ठीक पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्थापनार्थ एक पोस्टर-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समर्थन के पक्ष में

फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन

## संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्थापना की पृष्ठभूमि और सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन :-

1944 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी०सी० में स्थित 'डाम्बस्टन ओक्स' नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई, जिसमें राष्ट्रसंघ के बहुत से तत्व पाये जाने थे। परन्तु साथ में कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी किया गया जिनसे राष्ट्रसंघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। इसमें मित्र राष्ट्रों के सदस्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल, 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया। 26 जून, 1945 को भारत सहित पचास राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर, 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए एवं इसी तिथि को 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' अस्तित्व में आया। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति **फ्रैंकलिन डी0 रूजवेल्ट** द्वारा किया गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतीक चिह्न जिसमें जैतुन की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है

## संयुक्त राष्ट्रसंघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य उसकी चार्टर की धाराओं में उल्लिखित है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निहित थे-

**चार्टरः- संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएँ हैं। जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है।**

1. शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना।
2. आत्मनिर्णय और समानता के सिद्धान्तों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना।
3. विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक ऐसा केन्द्र बनाना जहाँ इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जानेवाली कार्यवाही में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्त :

उपर्युक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गए थे, जो निम्न प्रकार हैं :-

- राष्ट्रों की समानता के सिद्धान्त पर यह संस्था आधारित रहेगी।
- प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र (Charter) का स्वागत करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा।
- सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों या विवादों का निबटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे।
- संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा या किसी भी तरह विनष्ट नहीं करेंगे।
- घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जायेगी।
- अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उपर्युक्त उद्देश्य एवं सिद्धान्तों में विश्वशांति, सुरक्षा एवं सहअस्तित्व के भाव निहित हैं। यह निश्चित रूप से 'विश्वबंधुत्व' एवं 'समानता' कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धान्त एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हैं जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य हैं। मांटेनिग्रो इसका नवीनतम (192वाँ) सदस्य है जिसने 2006 में इसकी सदस्यता ग्रहण की।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग :

संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के 6 प्रमुख अंग है, जिनका कार्य **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक**

एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं–

**1. आमसभा–** यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद-विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा सम्पादित होते हैं। जिसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना एवं उनके निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन एवं अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं।

**2. सुरक्षा परिषद्–** राष्ट्रसंघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। राजनैतिक विषयों में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालक अंग है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं।

**संयुक्त राष्ट्रसंघ के 5 स्थाई सदस्य-अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस एवं चीन हैं।**

**3. आर्थिक और सामाजिक परिषद्–** यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएँ सुरक्षा परिषद् के प्रार्थना पर उसे प्रदान करती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग-अलग समूह कार्यरत हैं। जैसे यूनीसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि।

**4. न्यास परिषद्–** संयुक्त राष्ट्र का यह अंग उन प्रदेशों में जहाँ अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है, उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे–प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशीया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में हैं। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं– (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना (ख) लोगों के स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना (ग) मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना (घ) सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना।

**5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय**– यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में हुई थी, जहाँ यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती थी। परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निमित्त सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया गया। जिसका मुख्यालय **हेग** (नीदरलैंड) में है।

**6. सचिवालय**– संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है। यह राष्ट्रसंघ का मुख्यालय है जहाँ सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में 6 भाषाएँ मान्यता प्राप्त यथा– **अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी** एवं **स्पेनिश** हैं।

**संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वेली तथा वर्तमान महासचिव बानकी मून हैं ( दक्षिण कोरिया के )**

संयुक्त राष्ट्रसंघ के आमसभा का दृश्य

## संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता एवं असफलताएँ :

राजनैतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियाँ महान रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों में इसकी सफलता एवं असफलता के तथ्य ढूँढ़ें जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विश्व में अनेक युद्ध की परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही यह पूर्णतः सत्य न हो परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी भूमिका ने विश्व को तृतीय विश्वयुद्ध के दरवाजे तक जाने से रोक रखा है। इसने विवादों की उग्रता को कम करने एवं पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व के अविकसित, पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में **आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य,** संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने जैसे–पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महती भूमिका रही है।

चूँकि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त एवं उद्देश्य में **विश्वशांति** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इस दिशा में संघ प्रयासरत है। इस संदर्भ में इसकी सफलताएँ उल्लेखनीय हैं।

एशिया के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भूमिका रही है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटने के लिए दबाव डाला। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1956 में स्वेज नहर के मामले में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1959 में लेबानन पर संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलस्तीन-इजरायल का मुद्दा एक विकट रूप ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया। साथ ही अरब राज्यों.में होने वाले तनावों को भी कम करने में यह सफल रहा। 1988 ई० में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज द कुइयार के प्रयत्नों से ईरान-इराक के बीच 8 वर्षों से चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने ठोस कदम उठाये। 1971 ई० में में बांग्लादेश की आजादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद् ने युद्ध बंदी को आजाद कराने के दिशा में सफल प्रयास किया।

अफ्रिका महादेश में यूरोपीय औपनिवेशिक नीति के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफी विवाद एवं समस्याएँ सामने आयीं तथा वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया। इन समस्याओं को हल करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्त्तमान समय में भी नाइजीरिया, अंगोला, सियरालिओन आदि देशों में छिड़े गृहयुद्ध को रोकने में राष्ट्रसंघ शांति सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। 1990 में ईराक द्वारा कुवैत पर अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया गया।

**संयुक्त राष्ट्रसंघ की असफलताएँ :**

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपनी राजनैतिक भूमिका से विश्वशांति कायम करने में अनेक सफलताएँ हासिल की परन्तु यह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल भी रहा है। निःशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है। अरब-इजरायल युद्ध (फिलिस्तीन), नामिबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रिका की रंगभेद नीति, ईराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि दूर करने में यह असफल सिद्ध हुआ है।

**असफलता के कारण :**

**आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव–** संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अंशदान द्वारा होती है। इस कारण संघ में जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक अंशदान होता है उसी का दबदबा बना रहता है। जैसे–इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयार्क में अवस्थित है और इसके खर्च के आधा हिस्से की जिम्मेवारी अमेरिका की है। अतः, संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप जग जाहिर है।

**गुटबंदी–** संयुक्त राष्ट्रसंघ पर विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा है और इसके कारण अनेक मुद्दों पर इसे कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकसित राष्ट्रों के गुट **जी-8**, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट, **नाटो, सीटो, वारसा** आदि गुटों का प्रभाव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को घटाया है। इसके राजनैतिक हस्तक्षेपों ने भी, राष्ट्रसंघ की असफलता को बढ़ाया है।

**सुरक्षा परिषद् में क्षेत्रीय असंतुलन–** सुरक्षा परिषद् में सभी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्याएँ खड़ी होती है। सुरक्षा परिषद् में 5 स्थायी सदस्यों में से तीन देश

यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रिका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई देशों की है। जिसका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य के रूप (सिर्फ चीन को छोड़कर) में नहीं है। ज्ञातव्य है कि स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त है। जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अन्तिम उपाय है। जिसका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रायः दुरुपयोग ही हुआ है।

**स्थायी सेना का अभाव–** किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकने के लिए सेना की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद् द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिये जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं। परन्तु भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भेजा है।

**औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा–** साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। अब कोई देश सीधे आक्रमण नहीं वरन् आर्थिक दबाबों के आधार पर अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके कारण विश्व विकसित एवं विकासशील देशों के गुटों में बँट रहा है। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबन्धित राजनीति, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद (outsourcing) आदि उदाहरण हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन संस्थानों द्वारा विश्व में शांति के प्रयास निरर्थक नहीं रहे हैं। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा हो, जो विवेच्य बिंदु हैं, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, उत्शृंखल राष्ट्रों पर लगाम कसने तथा गैर राजनीतिक कार्यों में यह सफल रहा है। किसी भी संगठन की सफलता-असफलता उसके सदस्यों की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः, आवश्यकता है इसके उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों को सफल बनाने की। तभी विश्व शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं।

## अभ्यास :

### प्रश्नावली :

नीचे दिये गए प्रत्येक प्रश्न में 4 संकेत चिह्न क, ख, ग, घ दिये गये हैं, जिनमें एक सही या सबसे उपयुक्त है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्न संख्या के सामने वह संकेत चिह्न लिखें जो सही या सबसे उपयुक्त है।

### I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

**1. राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कर्यालय–**

(क) न्यूयार्क में था (ख) पेरिस में था

(ग) जेनेवा में था (घ) बर्लिन में था

**2. इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था?**

(क) इंग्लैण्ड (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका

(ग) फ्रांस (घ) जर्मनी

**3. राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था?**

(क) द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना.

(ख) भविष्य में युद्ध रोकना

(ग) राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना

(घ) इनमें से कुछ नहीं।

**4. राष्ट्रसंघ की स्थपना किस वर्ष हुई**

(क) 1945 (ख) 1925

(ग) 1920 (घ) 1895

**5. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है?**

(क) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (ख) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

(ग) संरक्षण परिषद् (घ) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ

**6. संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?**

(क) जेनेवा (ख) वाशिंगटन डी० सी०

(ग) न्यूयार्क (घ) लंदन

**7. संयुक्त राष्ट्रसंघ की किस सम्मेलन का सफेल परिणाम था?**

(क) डाम्बस्टन ओक्स (ख) सैन फ्रांसिस्को

(ग) जेनेवा (घ) पेरिस

8. **वर्त्तमान में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कितने सदस्य हैं?**

(क) 111 (ख) 192

(ग) 190 (घ) 290

## II. अति लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. सुरक्षा परिषद् में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं?
2. राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है?
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई?
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्त्तमान महासचिव कौन हैं?
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में कितनी धाराएँ हैं?
6. सुरक्षा परिषद् के अस्थाई सदस्यों की संख्या है–
7. संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान अधिकारी कहलाता है–

## III. लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. राष्ट्रसंघ की स्थापना किस प्रकार हुई?
2. राष्ट्रसंघ नि:शस्त्रीकरण के प्रश्न को सुलझाने में क्यों असफल रहा?
3. राष्ट्रसंघ किन कारंणों से असफल रहा? किन्हीं 4 कारणों को बतावें।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को लिखें।
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर राजनीतिक कार्य कौन-कौन से हैं?
6. संयुक्त राष्ट्रसंघ की किन्हीं 4 राजनैतिक सफलताओं का उल्लेख करें।

## IV. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1. राष्ट्रसंघ की स्थापना की परिस्थितियों का वर्णन करें।
2. राष्ट्रसंघ किन कारणों से असफल रहा वर्णन करें।
3. संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों की प्रासंगिकता बतावें।
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों की भूमिका का वर्णन करें।
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ की महत्ता को रेखांकित करें।